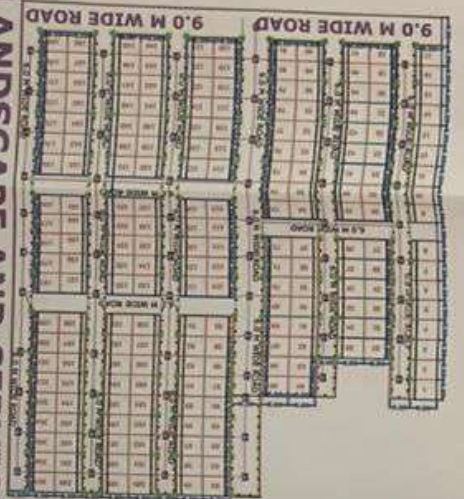
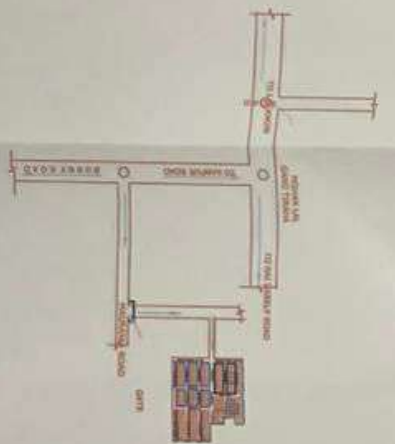




LANDSCAPE AND SERVICE PLAN
SCALE 1:100



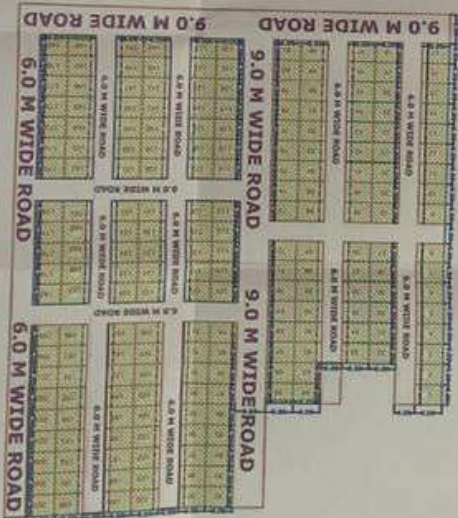
SITE PLAN
SCALE N.T.S.



MASTER PLAN
SCALE N.T.S.



LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



SITE PLAN
SCALE 1:100

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR **SAMRIDHI INFRA ESTATE PVT. LTD.**
S/O MR. MANNU, SITUATED ON KHASRA NO.-504 KA(PART OF),
483 KHA(PART OF), 177(PART OF), 396(PART OF), 459(PART OF),
469(PART OF), 485(PART OF), 486(PART OF), 488(PART OF),
493(PART OF), 495 (PART OF) AT VILLAGE -GAURA,
PARGANA AND TEHSIL -MOHANLAL GANJ, DISTT.- LUCKNOW.

AREA CHART

TOTAL PLOT AREA = 16609.034 SQ.MTR.
TOTAL PLOTTED AREA = 9936.000 SQ.MTR.
ROAD AREA = 6673.034 SQ.MTR.

I CERTIFY THAT THIS MAP HAS BEEN PREPARED BY ME UNDER THE RULES & REGULATIONS AND LUCKNOW MASTER PLAN.

Sd/-

OWNER'S

OWNER'S

ARCHITECT



PLAT NO.	PLAT AREA	PLAT SIZE	PLAT NO.	PLAT AREA	PLAT SIZE
1 TO 207	48.00 SQ.M.	1.00 MTR.	208 TO 407	48.00 SQ.M.	1.00 MTR.

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 189 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2019-2020

दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

मेसर्स समृद्धि इन्फ्रास्टेट प्रा0लि0, सुखसमृद्धि अल्फा स्टेट प्रा0लि0,
श्री विनोद कुमार
निवासी मेंहदीटोला,
हजरतगंज, लखनऊ।
स्थानल ग्रामसभा गौरा
विकास खण्ड मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।



आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्लानिंग मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 26.12.2019 के परिपालन में प्लानिंग मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा गौरा विकास खण्ड मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में प्लानिंग कार्य कराये जाने हेतु खसरा संख्या 483ख, 504क, 177, 396, 459, 469, 485, 486, 488, 493, 495 में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 9936.00 वर्गमीटर में निम्न प्रतिबन्धों मानचित्र स्वीकृति किए जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

- 1-प्रतिबन्ध रहेगा कि प्लानिंग कार्य कुल प्लॉटेड एरिया 9936.00 वर्गमीटर में ही कराया जाये।
- 2-प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र में प्रदर्शित पार्क, जलनिकासी, सीवरलाइन, विधुत, सड़क, रेनवाटर हारवैस्टिंग आदि कार्य कराया जाना आवश्यक होगा।
- 3-प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर तीन माह के अन्दर 143 ओदश प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि उत्तर प्रदेश रेरा में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भू-स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।


अध्यापक, अभिकारी,
अवर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ

कायालय जिला पंचायत, लखनऊ।

दिनांक 18 अगस्त, 2020



पत्र संख्या 288/नवशा/नि0वि0/जि0प0/2020-2021
मेसर्स समृद्धि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 प्रो0 श्री सुधीर गुप्ता
पुत्र श्री उमेश गुप्ता, नीलगिरि काम्प्लेक्स,
कपडाकोठी, लखनऊ।
मेसर्स सुखरामुद्धि अल्फास्टेट प्रा0लि0
प्रो0 श्री सुनील श्रीवास्तव पुत्र श्री आर0वी0 श्रीवास्तव
निवासी कपडाकोठी, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
एवं श्री दिनोद कुमार पुत्र श्री मन्नु
निवासी मेहदीटोला, गार्ड वेगम हजरत, लखनऊ।
ग्रामसभा गौरा
विकास खण्ड मोहनलालगंज
तहसील-मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 19.08.2020 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा गौरा विकास खण्ड मोहनलालगंज तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में आवासीय भवनों का कार्य कराये हेतु खसरा संख्या 483ख, 504क, 177, 396, 459, 469, 485, 486, 488, 493, 495 में प्रस्तुत मानचित्र में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 7700.40 वर्गमीटर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

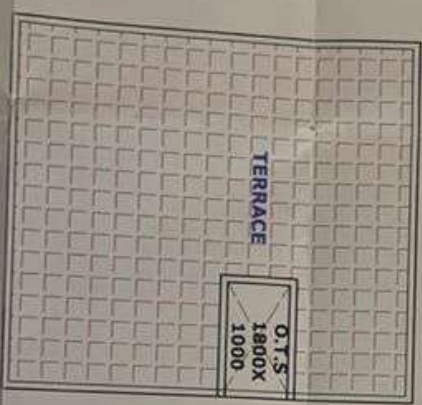
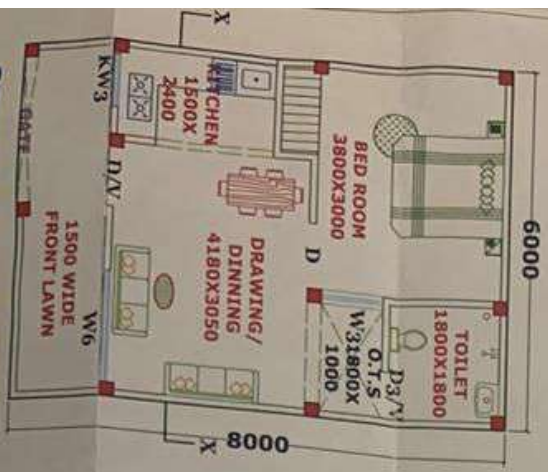
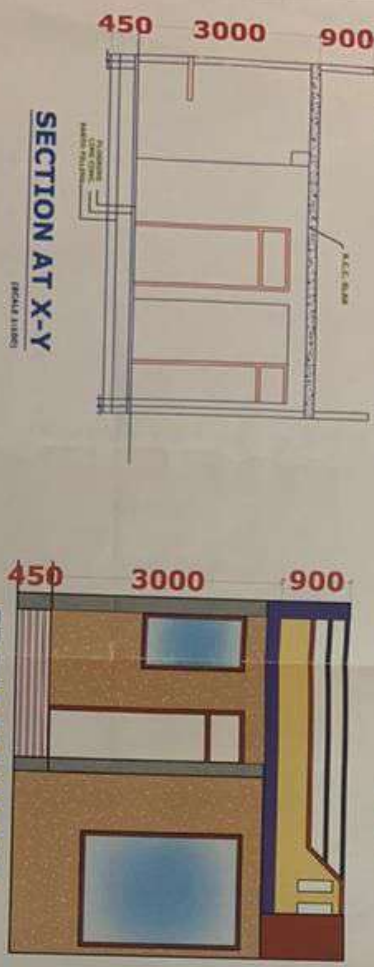
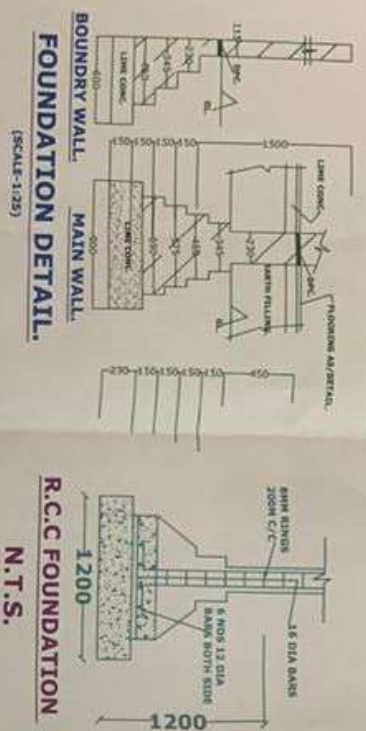
- 1-प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
 - 2-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
 - 3-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लेण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे।
 - 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि आवासीय भवनों का निर्माण कार्य 7700.40 वर्गमीटर में ही कराया जाये।
 - 5-प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तुत शपथ पत्र में आधार पर सम्यक विचारोपरान्त 143 आदेश दो माह के अन्दर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - 6-प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र में दर्शित सड़क, पार्क, सीवर सर्विसेज एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्य कराया जाना अति-आवश्यक होगा।
 - 7-प्रतिबन्ध रहेगा कि उत्तर प्रदेश रेरा में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - 8-भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम आने की दशा में जिम्मेदारी जिला पंचायत, लखनऊ की न होगी।
 - 9-भूमि सम्बन्धी विवाद होने की दशा में जिला पंचायत, लखनऊ जिम्मेदार न होगा।
 - 10-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शे/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भू-स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।
- अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ

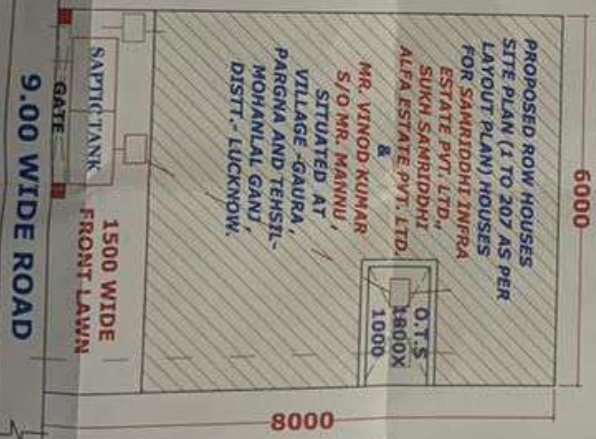
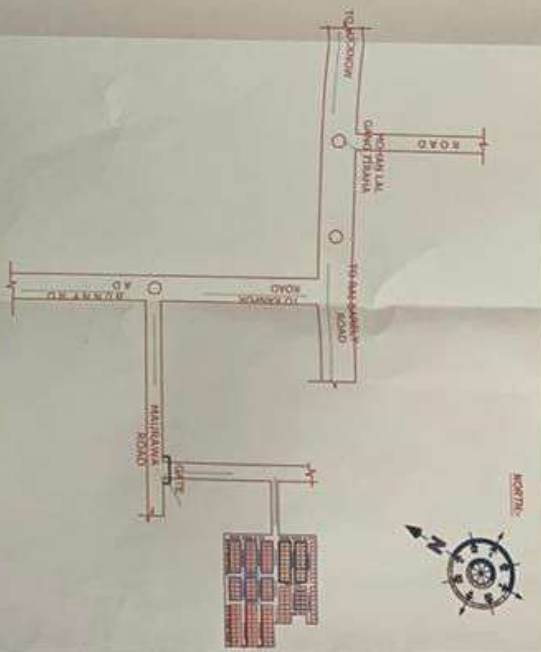
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश रेरा, लखनऊ।
- 2- सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ



SITE PLAN
SCALE N.T.S.



PROPOSED ROW HOUSES
PLAN (1 TO 207 AS PER LAYOUT PLAN HOUSES) FOR SAMRIDHI INFRA ESTATE PVT. LTD., SUKH SAMRIDHI ALFA ESTATE PVT. LTD. & MR. VINOD KUMAR S/O MR. MANNU, SITUATED AT KHASRA NO.- 504 KA (PART OF), 483 KHA (PART OF), 177 (PART OF) 396 (PART OF), 459 (PART OF) 469 (PART OF), 485 (PART OF) 486 (PART OF), 488 (PART OF) 493 (PART OF), 495 (PART OF) AT VILLAGE - GAURA, PARGANA & TEHSIL - MOHANLAL GANJ, DIST. - LUCKNOW.

CORPORATION-DRAWING

SCHEDULE OF DOORS & WINDOW'S	
1. D	1000 X 2100
2. D1	900 X 2100
3. D2	750 X 2100
4. W	3000 X 1800
5. W1	1500 X 1500
6. W2	1200 X 1500
7. W3	1350 X 1050
8. V	900 X 600

ONE ROW HOUSE AREA STATEMENT	
1. TOTAL PLOT AREA	48,000 SQMT
2. PROP. COVD. AREA ON G.F.	37,200 SQMT
3. TOTAL PROP. COVD. AREA	37,200 SQMT
4. TOTAL OPEN AREA	10,800 SQMT
5. TOTAL 207 ROW HOUSES COVERED AREA	7700.400 SQMT.

SIGN OF OWNER'S

SIGN OF ARCHITECT